अभिनव प्रयोग (नवाचार)

प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रदेश में नौकरी के लिए आवेदन में 1 जनवरी, 2015 से नोटरी से सत्याप्ति शपथ–पत्र और न ही राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन की आवश्यकता होगी। जनवरी, 2015 से स्वःप्रमाणित दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।

कृषि विपणन विभाग

राज्य में ज्योातिबा फुले फल एवं सब्जी मण्डी, मुहाना, जयपुर परिसर में पृथक से पुष्प मण्डी प्रागंण की स्थापना की गई है।

पशुपालन विभाग

गोपालन विभाग की स्थापना की गई है।

ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को अधिक गुणात्मक बनाकर इनके नियोजित एवं चरणबद्ध विकास हेतु ''राज्य आयुष नीति'' तैयार की जाएगी। जिसमें इन चिकित्सा पद्धतियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, औषधि निर्माण में गुणात्मक अभिवृद्धि वनौषधि क्षेत्रों का विकास, विभागीय चिकित्साालयों की सेवा का विस्तार आदि के सम्बन्ध में दृष्टिपत्र तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों का आयोजन–आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति का अधिकाधिक प्रचार प्रसार, आमजन में इनके प्रति जागरूकता पैदा करने तथा स्वास्थ्य संरक्षण उपायों के संदेशों के संचार हेतु जयपुर में राष्ट्रीय आरोग्य मेला दिनांक 13–16 फरवरी, 2015 को तथा संभागीय मुख्यालय, उदयपुर में राज्य स्तरीय आरोग्य मेला दिनांक 14–17 मार्च, 2015 तक आयोजित किए गए।

पंचगव्य उत्पादों हेतु अनुसंधान–पंचगव्य उत्पादों के रोग निवारण क्षमता के मानकीकरण हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा पशुधन विश्वविद्यालय, बीकानेर के संयुक्त तत्वाणधान पंचगव्य उत्पादों द्वारा विशिष्ट एवं जटिल रोगों के उपचार से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य किया जाएगा।

डोडा पोस्ट व अफीम से व्यसनमुक्ति कार्यक्रम जोधपुर संभाग के 6 जिलों में प्रारम्भ् कर रोगियों का उपचार किया गया।

नागरिक उड्डयन विभाग

राज्य में एयर टेक्सी प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके है।

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग

राज्य में खेती में मित्र जीवों को बचाने के उद्देश्य से केन्द्र पर फसल कैफेटेरिया लगा कर मित्र जीवों का अध्ययन किया जा रहा है।

राज्य में कृषकों की समस्या समाधान हेतु नांता कृषि फार्म पर प्रिस्क्रिप्शन सेवा नांता कृषि सलाह पर्ची देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

सहकारिता विभाग

राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैकों की 455 शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया।

राज्य में 13 महिला सुपर स्टोर प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण प्रथम चरण में 1211 पैक्स/लैम्पस में कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रारम्भ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

देश में पहली बार संवेदनशील सूचना की सुरक्षा के लिये राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

राज्य में कक्षा–3, 4, 5 के विद्यार्थियों में पढ़ने, लिखने (हिन्दी एवं अंग्रेजी) एवं गणित की मूलभूत संक्रियाओं की दक्षताओं को पूर्ण नहीं करने वाले बच्चों को फोकस करते हुए समूह शिक्षण के आधार पर वर्ष 2014–15 में कक्षा 1 से 8 हेतु रीडिंग कैम्पेन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय संचालन एवं गुणवत्ता शिक्षा के लिए सक्रिय एवं संवेदनशील बनाने के लिए विद्यालय पर्यवेक्षण कार्यक्रम ''सम्बलन'' प्रारम्भ किया गया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

व्यावसायिक शिक्षा– राज्य में 70 विद्यालयों में 4 ट्रेडस (प्रत्येक विद्यालय में 2) यथा IT & ITES, Beauty & Wellness, Automobile एवं Health Care का चयन कर 1 जनवरी, 2015 से 70 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ कर

दिया गया है तथा वर्ष 2015–16 में राज्य के 220 रा.उ.मा. विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की जा चुकी है। कक्षाएं दिनांक 01.08.2015 से प्रारम्भ हो गई है।

विशेष सफाई अभियान – राज्य में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया तथा इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को 5,000 रूपये की राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध करवाई गई।

उच्च शिक्षा विभाग

राज्य में सत्र 2014–15 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु परसेंटाइल का आधार लागू किया गया। एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त की गई।

तकनीकी शिक्षा विभाग

राज्य में स्मार्ट क्लासरूम हेतु 4 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों यथा अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, महिला जयपुर का चयन किया गया।

ऊर्जा विभाग

राज्य में सर्तकता जाँचों के अन्तर्गत अधिक विद्युत भार पाये जाने पर VCR के माध्यम से किसानों से वसूली गयी अनियमित राशि की जाँच हेतु आंतरिक अंकेक्षण दलों का गठन कर जाँच, राशि का समायोजन आगामी बिलों में करने हेतु कृषि कनेक्शन पर अधिक विद्युत भार पाये जाने पर वसूल की गई अनियमित राशि का समायोजन किया गया।

वाणिज्य कर विभाग

राज्य में जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जावे, कर, मांग या अन्य राशि का संदाय किसी व्यवहारी या व्यक्ति या होटल वाले द्वारा इलेक्ट्रोनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली, जिसे ई–ग्रास के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से जहाँ कर, मांग या अन्य राशि 500 रूपये से अधिक हो, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 एवं राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत किया जाएगा।

राज्य में व्यवहारियों से संवाद कायम करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर वाणिज्यिक कर विभाग की प्रोफाइल सृजित कर दी गयी है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–23 एवं 58 में निम्नलिखित संशोधन किये गये तथा नया नियम–67(क) जोडा गया–

1. नियम–23 में संशोधन कर स्टाम्प वेण्डर द्वारा एक मामलें में स्टाम्प विक्रय की सीमा को एक लाख रूपये से घटाकर 50000 रूपये किया गया।
2. नियम–58 के उपनियम–(1)(क) में संशोधन कर कृषि, आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि की दरों को पुनरीक्षित करने की शक्तियां महानिरीक्षक, स्टाम्प को प्रदान की गई।
3. नियम–58(2) में डी.एल.सी. द्वारा भूमि दरों में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने पर ऐसी दरों को महानिरीक्षक स्टाम्प के अनुमोदन के पश्चात् ही लागू करने का प्रावधान किया गया।
4. नियम–58(1)(च) में कॉर्नर भूखण्डों की दर निर्धारण करने तथा 58(1)(ड) में पुराने निर्माण पर ह्रास देने की दरें राज्यश सरकार द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है।
5. नियम–58(2) में प्रतिवर्ष डी.एल.सी. के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने की शक्तियां महानिरीक्षक स्टाम्प को दी गई है।
6. नया नियम–67(क) जोडकर 10 लाख रूपये से अधिक स्टाम्प डयूटी की विवादित राशि से संबंधित रिविजन प्रकरणों की सुनवाई राजस्थान कर बोर्ड की 2 या 2 से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया।

आबकारी विभाग

राज्य में मदिरा के प्रत्येक पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी ''मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं'' का लेबल पर एक निर्धारित साईज में सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का प्रावधान कर हिन्दी एंव अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अंकित किया गया।

राज्य में अन्य राज्यों से तस्करी के द्वारा आने वाली मदिरा की रोकथाम हेतु विशेष मुखबिर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अवैध मदिरा की सूचना देने वाले मुखबिर को मदिरा के मूल्य के अनुपात में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

राज्य में सभी श्रेणी के राशन कार्डों को डिजिटाईज्ड एवं कम्प्यूटराईज्ड किया गया।

1 अप्रेल, 2015 से ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड ऑनलाईन जारी किये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

गृह(पुलिस) विभाग

सिविल राईटस– महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा 01 जनवरी, 2015 से जयपुर आयुक्तालय/जोधपुर आयुक्तालय व कोटा शहर में व्हा्सएप का अभिनव प्रयोग प्रारम्भज किया गया है। जिनमें पीड़ित महिलाएं व्हाट्सएप मोबाईल नम्बरों पर वीडियों रिकार्डिंग/क्लिपिंग/ओडियों/फोटों के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

आरएसी

राजस्थान पुलिस की नई स्थानान्तरण नीति तैयार की गई।

प्रशिक्षण– आर्म्ड बटालियन्स के अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यकुशलता, दक्षता में अभिवृद्धि हेतु प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चुर्तथ बटालियन आरएसी में सहायक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर आर्म्ड बटालियन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 02 कोर्स मॉड्यूल यथा कानून एवं व्यवस्था तथा पुलिस प्रबन्धन तथा वेपन एण्ड टेक्टिस कोर्स करवाया जा रहा है। उक्त कोर्सेज को प्रारम्भ करने का उद्देश्य कर्मियों के शारिरीक दक्षता के स्तर को बनाये रखने व कानून एवं व्यवस्था की विषम परिस्थितियों के व्यवहारिक पहलूओं की जानकारी प्राप्त कर तदनुसार आवंटित उत्तरदायित्व का निर्वहनपूर्ण से करने एवं स्वयं को दक्ष बनाने का है।

ई.आर.टी.,एस.टी.एफ. एवं कमाण्डो कॉलम का दैनिक पाठ्यक्रम– आर्म्ड बटालियन के विशिष्ट बल यथा ई.आर.टी., एस.टी.एफ. एवं कमाण्डो कॉलम की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता बनाये रखने हेतु एस.टी.एफ. के दैनिक प्रशिक्षण प्रदान करवाया जा रहा है।

राज्य नियत्रंण कक्ष एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को अति आवश्यक सूचनाऐं एस.एम.एस के द्वारा आदान–प्रदान के निर्देशों के तहत हिन्दी में एस.एम.एस के माध्यम से राज्य सरकार में शीर्ष पदस्थ अधिकरियों को महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत करवाया गया व सम्प्रेषण को बेहतर बनाया गया।

भारत सरकार के Mission Mode Project (MMP) on Immigration Visa and Foreigners Registration & Tracking (IVFRT) के अनुसार विदेशी नागरिकों के ''सी'' फार्म, एस फार्म पंजीकरण ऑनलाईन की प्रक्रिया को निर्देशो की अनुपालना में विदेशी पंजीकरण अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट को समस्त जिलों में सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है।

केस दर्पण– अपराध शाखा में केस दर्पण नाम से सॉफटवेयर तैयार किया गया है जिसके माध्यम से सी.आई.डी.(सीबी.) राज. जयपुर द्वारा अनुसंधानरत अभियोगों की

पत्रावलियों के वर्तमान स्टेटस की सूचना प्राप्त करना एवं उनका अपडेशन ऑनलाईन किया जा सकेगा।

श्रम विभाग

राज्य में श्रम विभाग की नागरिकोन्मुखी गतिविधियों, जिसमें भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की गतिविधियां भी शामिल है, के कम्प्यूटराईजेशन का प्रोजेक्ट तैयार कराया गया है। विभागीय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (एल.डी.एम.एस.) का दिनांक 13.3. 2015 को लोकार्पण (Go Live) किया जा चुका है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश हेतु पॉलीसी तैयार करने हेतु विभाग स्तर पर एक उच्चस्तरीय टीम का गठन किया गया है। निदेशक, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) से समन्वय कर नई नीति बनाई जायेगी जिससे चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढावा मिलेगा तथा राजस्थान राज्य की जनता को चिकित्सा क्षेत्र गुणवत्ता की सेवा मिल सकेगी।

राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पीपीपी मोड पर संचालन– मानव संसाधन के अभाव में जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा उन प्रा. स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन पीपीपी मोड पर किये जाने कार्यवाही की जा रही हैं। इस हेतु रिकवेस्ट फॉर प्रोपोजल (आरएफपी) तैयार करने के लिये अन्य राज्यों द्वारा पी.पी.पी. मोड़ पर संचालित चिकित्सा संस्थानों की आरएफपी का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पीपीपी मोड़ पर संचालन करने हेतु आरएफपी शर्तें अनुमोदित की जा चुकी है।

आशा सॉफ्ट सॉफ्टवेयर राज्य में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, साथ ही गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ''ऑन लाईन सॉफ्टवेयर आशा सॉफ्ट'' बनाया गया है। इसके तहत आशा सहयोगिनीयों के द्वारा गांवों में दी जा रही समस्त स्वास्थ्य सेवाओं की monitoring करना, प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान करना एवं आशा सहयोगिनी के बैंक खाते में राशि का सीधा हस्तानान्तरण (Online payments transfer) करना है। प्रोत्साहन राशि की गणना वास्तव में दी गयी स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरूप होती है। ऑन लाईन transfer भुगतान की जानकारी आशाओं को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से दी जायेगी। आशाओं द्वारा क्लेम फॉर्म भरे जाने हेतु प्रशिक्षण सभी जिलों में PHC स्तर तक दिया जा चुका हैं। इस Software ऑनलाइन भुगतान हेतु Bank of Baroda का चयन कर लिया गया है जो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यह कार्य सम्पादित करेगा।

ई–शुभ लक्ष्मी योजना – दिनांक 1 अप्रेल, 2013 को प्रदेश में शुभलक्ष्मी योजना का प्रारम्भ किया जाकर राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों पर बेटी के जन्म पर 2100 रूपये की राशि, 1 वर्ष की आयु पर टीकाकरण पूर्ण करने पर 2100 रूपये की राशि एवं 5 वर्ष की आयु पर विद्यालय में पंजीकरण करवाने पर 3100 रूपये की राशि का प्रावधान है। लाभान्वितों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि समय पर एवं बिना कठिनाई के उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में दिनांक 15 अक्टूबर 2014 से ई–शुभलक्ष्मी का प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत 15 अक्टूबर, 2015 से द्वितीय किश्त की राशि लाभान्वितों के बैंक खाते में सीधे ही जमा करवा दी जायेगी

108 आपातकालीन एम्बूलेंस की पी.पी.एस.मॉनिटरिंग – राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जीवीके ईएमआरई के ऑनलाईन सॉफ्टवेयर माध्यम से संचालित 108 ऐम्बूलेंस (741) की प्रभावी मॉनेटिरिंग की जाती है, इस हेतु कंट्रोल रूम '' स्वास्थ्य भवन'' में द्वितीय तल पर स्थापित किया गया है।

बधाई संदेश – राज्य में बेटी के जन्म को बढावा देने के लिये इसे उत्सव की तरह मनाया जाना जरूरी है। अतः राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में बेटी के जन्म पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया की तरफ से हस्ताक्षरित बधाई संदेश परिवार को दिया जाता है।

सोशियल रिव्यू ऑफ मेटरनल डेथ कार्यक्रम – राज्य में मातृ मृत्यु के कारणों की पहचान कर कारणों के निवारण हेतु सामाजिक स्तर पर किये जाने वाले प्रयास करने के लिए मातृ मृत्यु सामाजिक समीक्षा के अन्तर्गत मृत्यु के कारणों पर ग्रामीण स्तर पर खुली चर्चा कर मृत्यु को रोकने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। समुदाय स्तर पर (घर व रास्ते) में हुई मातृ मृत्यु की सामाजिक समीक्षा जिस गॉव में महिला की मृत्यु हुई है, उस गॉव में एमसीएचएन सत्र के दिन, सत्र उपरान्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर बैठक आयोजित करके की जायेगी। सितम्बर, 2014 से 262 मातृ–मृत्यु की सामाजिक समीक्षा की गई है।

मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण – राज्य में मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण (संशोधित) अधिनियम 2011 एवं मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण नियम 2014 के अन्तर्गत राज्य रजिस्ट्री सेल का गठन कर आफ लाईन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं।

वॉक इन इंटरव्यू (भर्तियों हेतु) – 442 चिकित्सा अधिकारियों को urgent temporary basis पर नियुक्त किया गया है।

चिकित्सकों हेतु एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स – राज्य में चिकित्सकों हेतु एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स दिनांक 09.03.2015 से प्रारंभ किया गया है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग

राज्य में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पूरे राज्य में संभाग स्तर व जिला स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस अभिनव प्रयोग से राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को काफी लाभ प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 1.1.2015 से अल्पसंख्यक समुदाय को वितरित ऋण राशि उनके आधार कार्ड से लिंक बैंक खातें में ही हस्तान्तरित की जा रही है।

दिनांक 1.7.2014 से अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जा रहे व्यवसायिक ऋण, शिक्षा ऋण और माईक्रो फाईनेन्स ऋण की राशि सीधे ऋणी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

दिनांक 01.11.2014 के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सत्यापित इकजाई कार्य सत्यापन प्रपत्र के आधार पर शिक्षा सहयोगियों से मासिक मानदेय का भुगतान सुचारू रूप से किया जा रहा है।

पंचायतीराज विभाग

पंचायत दिवस कार्यक्रम – ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने, उनके नियमित पर्यवेक्षण एवं फील्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से राज्य में 'पंचायत दिवस' नाम से एक नियमित कार्यक्रम 6 जून, 2014 से प्रारम्भ किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की समस्त पंचायत समितियों में हर शुक्रवार को आस–पास की दो ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति के समस्त अधिकारी–कर्मचारी दो टीमों में जाते है तथा इसमें विभाग की विकास/निजी लाभ की योजनाओं के लम्बित कार्यों का निस्तारण कर प्रशासनिक कार्य पूर्ण करवाते है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के हैण्डपम्पों की मरम्मत, ग्रामीण क्षेत्र की सफाई की व्यवस्था व ग्रामों/ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ.(ODF) घोषित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना एवं भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को भूखण्डं आवंटन करना/निर्मित मकानों के नियमानुसार पटटे जारी करना।

इस कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों/प्रशासनिक कार्यो की समयबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन सूचना लेने/देने हेतु नये सॉफटवेयर का विकास करवाया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

सौर ऊर्जा पर आधारित सिंगल फेस नलकूप लगाने के लिये नीति निर्देश निर्धारित किए गए हैं। भारत सरकार से 2000 के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पहचान वेबपोर्टल के माध्यम से राज्य में जन्म मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी, 2014 से प्रारम्भ।

ग्रामीण विकास विभाग

आवास योजना के प्रत्येक लाभार्थियों को मिल रहे लाभों के विवरण सहित एवं निरीक्षण व शिकायत सम्बन्धी जानकारियों व दूरभाष नम्बर को समाहित करते हुए आवास अधिकार कार्ड दिया जाना अनिवार्य किया गया है। जिससे लाभार्थी को योजना की जानकारी मिलना सुनिश्चित हुआ है।

आवास योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर अनुदान राशि मिलना सुनिश्चित हो सके। इस हेतु विभाग द्वारा मोबाईल मोनटिंरिंग सिस्टम प्रायोगिक रूप से जिला जालौर में वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया गया है। जिसके सकारात्मक परिणाम आये है।

ग्रामीण विकास विभाग (नरेगा)

अभिनव पहल के तहत राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण के तहत 50933 वृक्षारोपण कार्य एवं एक परम्परागत जल स्त्रोत को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने के अन्तर्गत अब तक 5585 मॉडल तालाब स्वीकृत किये गये।

माह मार्च, 2014 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष रोजगार शिविरों का आयोजन– राज्य में माह मार्च, 2014 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिनांक 13.3.2014, 20.3.2014 एवं 27. 3.2014 को विशेष रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाकर रोजगार की मांग हेतु कुल 728783 फार्म नं. 6 प्राप्त किये गये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 11 योजनाओं यथा पालनहार, आस्था, अनुप्रति, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, सहयोग, विधवा पुत्री सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, अंर्तजातीय विवाह योजना, नवजीवन योजना एवं नशामुक्ति, वृद्धाश्रम एवं डे–केयर सेन्टर हेतु ऑनलाईन पोर्टल(SJMS) दिनांक 22.07.2014 से प्रारम्भ किया जाकर आवेदन की प्रक्रिया जयपुर एवं जोधपुर जिले में प्रारम्भ कर दी गई है।

राज्य में अनुप्रति योजना का ऑनलाईन पोर्टल(SJMS) पर आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 23.12.2014 से संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ कर दी गयी है।

छात्रावास एवं आवासीय विदयालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल(SJMS) पर आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 29.05.2015 से संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ कर दी गयी है।

परिवहन विभाग

राज्य में सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ड्राईविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है।

वाहन पंजीयन के लिए सभी वाहन विक्रेताओं/डीलर्स को अधिकृत किया जाना– राज्य में आमजन की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन के लिए राज्य में कुल 727 वाहन डीलर्स में से 663 वाहन डीलर्स को अधिकृत किया जा चुका हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवाओ को ई–मित्र से जोड़ना– प्राधिकरण द्धारा आवासीय योजनाओं में भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाईन एवं ई–मित्र के माध्यम से फार्म प्राप्त किये जा रहे है।

ई–ऑक्शन का कार्य दिनांक 24.07.2014 से आरंभ कर दिया गया है। दिनांक 12. 08.2015 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 406.00 करोड़ रूपये की 38 सम्पतियों का विक्रय किया गया है।

राज्य में पारदर्शिता के लिए भवन मानचित्र/योजना मानचित्र को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर डालने हेतु क्रियान्विति दिनांक 20.05.2014 से आरंभ कर दी गई है।

रोड एम्बूलेंस के माध्यम से रोड़ मरम्मत पेच वर्क का कार्य किया जाना– राज्य में तीन रोड़ एम्बूलेंस दिनांक 14.08.2014 से पेच रिपेयर के कार्य में लगायी जा चुकी है।